कार्यालय केन्द्रीय नजारत,
जनपद न्यायालय, गाजियाबाद।
दिनांक 07.02.2015

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित राजकीय वाहन एम्बेसडर कारे, जो पैट्रोल चालित है तथा न्यायालय परिसर, राजनगर, गाजियाबाद मे खडी है, की नीलामी दिनांक 13.03.2015 को अपरान्ह 03.00 बजे न्यायालय परिसर के भूतल पर स्थित सैन्ट्रल हॉल में की जायेगी। नीलाम किये जाने वाले राजकीय वाहनो का विवरण इस प्रकार है :-

क्रम सं.	स्टाफ कार सं.	वाहन का प्रकार	कुल तय की गयी दूरी	क्रयकरने का वर्ष
1	यू0पी0 14 पी. 3000	एम्बेसडर	158889 किमी.	2001
2.	यू0पी0 14 ई. 8555	एम्बेसडर	173623 किमी.	1996
3.	यू0पी0 14 ई. 8333	एम्बेसडर	143569 किमी.	1996

उक्त एम्बेसडर कारो की नीलामी की शर्ते निम्न प्रकार हैं :-

1. जो इच्छुक व्यक्ति बोली बोलना चाहेगें उन्हें अंकन रूपया 10,000/- नकद अथवा बैंक ड्राफट, जो जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद के नाम होगा, प्रतिभूति के रूप मे जमा करना होगा।
2. नीलामी हेतु गठित की गयी कमेटी द्वारा सरकारी बोली/न्यूनतम बोली मौके पर ही निश्चित की जायेगी तथा नीलाम के इच्छुक व्यक्ति को उससे उपर बोली बोलनी होगी।
3. सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली समाप्त होते ही स्वीकृत बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि बोली स्थल पर ही नकद जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि बोली का अनुमोदन होने के उपरान्त अन्दर तीन दिन में जमा करनी होगी।
4. यदि उच्चतम बोलीदाता अपनी अधिकतम बोली का 25 प्रतिशत धनराशि बोली के तुरन्त बाद जमा नही करता है तो उसके द्वारा प्रतिभूति के रूप मे जमा की गयी धनराशि बहक सरकार जब्त कर ली जायेगी तथा उससे कम बोली बोलने वाले को अपनी अधिकतम बोली का 25 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी।
5. समस्त धनराशि जमा होने एंव नीलाम स्वीकृत होने पर ही वाहन की डिलीवरी दी जायेगी।
6. वाहन का निरीक्षण नवीन न्यायालय परिसर मे किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है वाहन जैसा है, जहाँ है, वैसा ही, नीलाम किया जायेगा। यदि कोई इच्छुक व्यक्ति कोई अन्य जानकारी जानना चाहता तो वह किसी भी कार्य दिवस मे प्रभारी अधिकारी नजारत अथवा केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय गाजियाबाद से सम्पर्क स्थापित करके जानकारी प्राप्त कर सकतें हैं।
7. नीलाम क्रेता को नीलामी संबधी समस्त औपचारिकतायें स्वयं पूर्ण करनी होगी।
8. नीलाम समिति/जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये स्वीकृत बोली/बोलियों को निरस्त कर सकते है।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ भेजी जा रही है कि वह इस नीलामी सूचना का प्रचार कराने की दृष्टि से इसे अपने कार्यालय के सूचना पटट् पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सूचानार्थ प्रेषित।

2. कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद।
3. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
4. मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. ज्येष्ठ पुलिस अधिक्षक, गाजियाबाद।
6. मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
7. तहसीलदार, गाजियाबाद।
8. आर0 टी0 ओ0, गाजियाबाद।
9. नोडल ऑफिसर, न्यायालय गाजियाबाद को अपने कार्यालय की वैबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
10. श्रीमान ओ0 एस0 डी0(कम्प्यूटर), माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अपने कार्यालय की वैबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
11. स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क वास्ते सूचनार्थ एंव प्रकाशन हेतु।

7/5/15

(गोविन्द बल्लभ शर्मा)
अध्यक्ष, नीलाम समिति/
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
जनपद न्यायालय, गाजियाबाद।

Officer Incharge ~~Nazarat~~ Pool Car
District Court, Ghaziabad